ईमेल द्वारा/By E.mail

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
(परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय, भारत सरकार)
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY
(An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. of India)

प.ऊ.शि.सं./लेखा./प.ऊ.वि.वि.नि./वार्षिक लेखा विवरण/2024-25/35 दिनांकः
AEES/ACCTS/PUVVN/Annual Accts./2024-25/35 Date: 07/04/2025

विषय/Sub : सभी परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालयों एवं कनिष्ठ महाविद्यालयों द्वारा परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि (प.ऊ.वि.वि.नि) लेखा के अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरणों की प्रस्तुति/ Submission of Audited statements of accounts for the year 2024-25 under Parmanu Urja Vidyalay Vikas Nidhi (PUVVN) Account by all AEC Schools & Junior Colleges.

परमाणु उर्जा केन्द्रीय विद्यालयों और कनिष्ठ महाविद्यालयों के सभी प्रधानाचार्य को अनुरोध किया जाता है कि संलग्नक –I एवं II में अनुलग्नित परमाणु उर्जा विद्यालय विकास निधि लेखा को अंतिम रूप देने और तैयार करने हेतु दिशानिर्देश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि लेखाओं के लेखापरिक्षित विवरण प्रस्तुत करें |

Heads of AEC Schools and Jr. College are requested to submit the audited statement of PUVVN account for the financial year 2024-25 in the prescribed format as per the guidelines for finalization and preparation of PUVVN a/c enclosed in Annexures - I & II.

यद्यपि, स्पष्ट अनुदेश दिए गए थे, यह देखा गया है कि पी.यू.वी.वी.एन. रोकड़ बही, खाता बही, चैक निर्गम रजिस्टर, बैंक समाधान, बैंक विवरण का प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य प्रभारी के हस्ताक्षर के साथ समुचित अनुरक्षण और अद्यतन नहीं किया गया। इस पुनरावृत्ति को कार्य-निष्पादन के लिए गंभीरता से देखा जाएगा।

Though, the clear instructions were given it is observed that PUVVN Cash books, ledger, Cheque issue register, bank reconciliation, bank statement were not maintained & updated properly with due signature of Principal/Vice-Principal In-charge. The recurrence will be viewed seriously for performance.

परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि खाते के लिए टैली सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन – पत्र सं AEES/ACCT/TALLY PROG./2018/315 दिनांकित 17/04/2018 द्वारा सूचित किया गया कि हस्त लिखित खातों के साथ-साथ 01/04/2018 से टैली सोफ्टवेयर खाते भी तैयार करने है| इसलिए, वर्ष 2024-25 के लिए संबंधित केंद्रों के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि खाते की टैली सॉफ्ट प्रति फाइल भेजने का अनुरोध है|

Implementation of Tally Software for PUVVN Account:- It was intimated vide letter ref. no. AEES/ACCT/TALLY PROG./2018/315 dated 17/04/2018 that manual accounts as well as Tally software accounts shall be prepared from 01/04/2018. Hence, it is mandatory to send tally soft copy file for PUVVN Account for the year 2024-25 duly verified by statutory auditors of respective centres.

2. परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अनुरोध किया जाता है कि ई-मेल aeescommonpupilsfund@gmail.com / bills@aees.gov.in एवं dmc@aees.gov.in पर विवरण की सॉफ्ट प्रति और सभी प्राधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि के लेखापरीक्षित विवरण की **तीन प्रतियों** की हार्ड कॉपी निम्नलिखित दस्तावेजों सहित 31/05/2025 तक भेज दें।

Heads of AEC schools/Junior Colleges are further requested to submit the soft copy of the statements to email id aeescommonpupilsfund@gmail.com / bills@aees.gov.in and dmc@aees.gov.in and hard copy containing **Three sets** of audited statement of PUVVN duly signed by all the authorities along with the following documents on or before 31/05/2025.

(i) तुलन-पत्र /Balance Sheet.

(ii) आय एवं व्यय /Income & Expenditure.

(iii) प्राप्ति एवं भुगतान /Receipt & Payment.

(iv) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट /Auditors' Report.

(v) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में दिए गए टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट या 'शून्य' रिपोर्ट
Action taken report on the observations given in Auditor's report or 'NIL' report

(vi) निर्धारित प्रारूप अर्थात् जीएफआर 22 में पूंजीगत मदों, स्थायी परिसंपत्तियां और उपस्करों जिसमें कम्प्यूटर आदि शामिल है की विस्तृत सूची जो परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि लेखा की अनुसूची 2 से मेल करती हो। Detailed list of Capital Items, Fixed Assets and Equipment including Computers etc. in Prescribed format i.e. GFR 22 which tallies with Schedule 2 of PUVVN account.

(vii) वर्ष 2024-25 के लिए शुल्क समाधान विवरण, जहां तक संभव हो, बकाया शुल्क 'शून्य' दर्शाता है। Fee Reconciliation Statement for the year 2024-25 showing 'NIL' outstanding fee as far as possible.

3. परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था एक एकल निकाय है और प.ऊ.शि.सं. के अधीन प.ऊ.कें.विद्यालय आते हैं। अतः परिपत्र सं. AEES/USE OF PAN/AECS-JC/2017/5117 दिनांकित: 02/02/2017 के अनुसार सभी प.ऊ.कें.विद्यालयों और कनिष्ठ महाविद्यालयों द्वारा प.ऊ.शि.सं. की पैन संख्या का उपयोग किया जाना चाहिए। सभी 31 प.ऊ.कें.विद्यालयों के लेखा के सभी लेखाओं के अंतर्गत प्रोद्भूत आय का हिसाब एक ही पैन संख्या के अंतर्गत किया जाना चाहिए।
AEES is a single entity and all AEC Schools are under the aegis of AEES. Therefore, AEES PAN is to be utilized by all AEC Schools & Junior Colleges as per circular No. AEES/USE OF PAN/AECS-JC/2017/5117 Date: 02 /02/2017. The income accrued under all accounts of all 31 AEC school's account shall be accounted under one PAN.

4. पत्र संख्या AEES/PC&GA/ F.1.5/PUVVN/2018/4169 दिनांक 12/10/2018 के माध्यम से प्रसारित संशोधित PUVVN दिशानिर्देशों का संदर्भ पृष्ठ संख्या 5 पर पैरा 7 में कहा गया है कि "सभी परमाणु उर्जा विद्यालयों और महाविद्यालयों को जमा करना होगा" उप-खंड 7 (iii) के तहत सूचीबद्ध वस्तुओं पर व्यय करने के लिए केंद्रीय कार्यालय, एईईएस द्वारा बनाए गए सामान्य विद्यार्थियों के निधि खाते में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि खाते में बची हुई अप्रयुक राशि जमा करनी होगी | हालाँकि संशोधित दिशानिर्देश पत्र संख्या AEES/PC&GA/2025/1302 दिनांक 10/03/2025 के अनुसार" सभी परमाणु उर्जा विद्यालयों और महाविद्यालयों को 01.10.2024 से **परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि खाते में बची हुई अप्रयुक राशि जमा नहीं करनी हैं |**
Reference to the PUVVN guidelines circulated vide letter No. AEES/PC&GA/ F.1.5/PUVVN/2018/4169 dated 12/10/2018 Para 7 on page No.5 stipulates that "All the AEC Schools and Junior Colleges have to deposit unspent amount left in the PUVVN account at the end of every financial year in the Common Pupils' Fund Account maintained by Central Office, AEES to incur the expenditure on the items listed under sub-clause 7 (iii), however the Revised Guidelines for administration of Parmanu Urja Vidyalaya Vikas Nidhi (PUVVN) in AEC Schools/Junior College circulated vide letter No. AEES/PC&GA/PUVVN/2025/1302 dated 10.03.2025 to be implemented with effect from 01-10.2024.

5. पत्र सं. AEES/PC&GA/F.1.5/PUVVN/2018/4169 दिनांकित 12/10/2018 के द्वारा परिचालित परिशोधित परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि दिशानिर्देशों का संदर्भ लें जिसमें पृष्ठ सं. 5 के पैरा सं. 7 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि सभी प.ऊ.कें.विद्यालयों और कनिष्ठ महाविद्यालयों को यथाउल्लेखित उप-खंड 7 (iii) के तहत मदों पर व्यय करने हेतु केन्द्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं. द्वारा अनुरक्षित सामान्य छात्र निधि लेखा में उनके वार्षिक परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि का 5% जमा करना होगा। हालाँकि संशोधित दिशानिर्देश पत्र संख्या AEES/PC&GA/2025/1302 दिनांक 10/03/2025 के अनुसार" सभी परमाणु उर्जा विद्यालयों और महाविद्यालयों को 01.10.2024 से **परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि खाते में बची हुई 5% जमा राशि जमा नहीं करनी हैं |**

Reference to the revised PUVVN guidelines circulated vide letter No. AEES/PC&GA/ F.1.5/PUVVN/2018/4169 dated 12/10/2018 Para 7 on page No.5 stipulates that "All the AEC Schools and Junior Colleges have to deposit 5% of their annual PUVVN Fund in the Common Pupils' Fund Account maintained by Central Office, AEES to incur the expenditure on the items listed under sub-clause 7 (iii), however the Revised Guidelines for administration of Parmanu Urja Vidyalaya Vikas Nidhi (PUVVN) in AEC Schools/Junior College circulated vide letter No. AEES/PC&GA/PUVVN/2025/1302 dated 10.03.2025 to be implemented with effect from 01-10.2024.

6. अनुसूची 13 खाते पर नोट :- सभी परमाणु उर्जा विद्यालयों और महाविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि के दौरान सम्बंधित विद्यालय / केंद्र कि प्रमुख गतिविधियों पर एक संक्षिप्त नोट (संलग्न प्रपत्र के अनुसार) प्रस्तुत किया जाए |

Schedule 13 Note on Account :- All Heads of AECS/JC should ensure that a brief Note on Major activities of respective school/centre during 2024-25 (as per proforma enclosed) be submitted.

7. अचल स्मपतियों का मूल्यह्रास :- संशोधित परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि दिशानिर्देश पत्र संख्या AEES/PC&GA/2025/1302 दिनांक 10/03/2025 के अनुलग्नक VII के अनुसार" तुलन पत्र अनुसूची 2 सभी परमाणु उर्जा विद्यालयों मूल्यह्रास कि दरो (मूल्यह्रास मूल्य पद्धति) के अनुसार अचल स्मपतियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाएगा | संसद के अधिनियम के तहत गठित विनियामक प्राधिकरण या केंद्र सरकारद्वारा लेखांकन पयोजनों के लिए अधिसूचित किसी विशिष्ट परिसंपत्ती का उपयोगी जीवन य अविशिष्ट मूल्यह्रास अनुसूची कि आवश्यकता पर ध्यान दिए बिना ऐसी परिसंपति के लिए प्रदान किये जाने वाले मूल्यह्रास कि गणना में लागु किया जाएगा| संशोधित परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि दिशानिर्देशों के अनुलग्नक VIII का संदर्भ लें |

Deprecation of Fixed assets :- Depreciation to be provided on Fixed assets as per rates of depreciation (Written Down Value Method) to be incorporated in PUVVN Annual Accounts Schedule 2 of Balance Sheet, as per Annexure VII of Revised PUVVN Guidelines circulated vide letter No. AEES/PC&GA/PUVVN/2025/1302 dated 10.3.2025. The useful life or residual value of any specific asset, as notified for accounting purposes by a Regulatory Authority constituted under an Act of Parliament or by the Central Government shall be applied in calculating the depreciation to be provided for such asset irrespective of the requirement of this Schedule. (Refer Annexure VIII of Revised PUVVN Guidelines).

इस सम्बंध में परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि खाते के तुलन पत्र कि अनुसूची 2 के अनुसार अचल संपत्तियों पर पिछले 10 वर्षों के मूल्यह्रास कि गणना के लिए सॉफ्ट कॉपी ईमेल के माध्यम से प्रदान कि जाएगी | मूल्यह्रास कॉलम को शामिल करते हुड तुलन पत्र की संशोधित अनुसूची 2 कि सॉफ्ट कॉपी भी प्रदान कि जाएगी|

In this regard, soft copy for calculation of depreciation for last 10 years on Fixed Assets as per Schedule 2 of Balance Sheet of PUVVN Account will be provided through email. Soft copy of Revised Schedule 2 of Balance sheet incorporating Depreciation Column will also be provided.

प.ऊ.कें.विद्यालयों और कनिष्ठ महाविद्यालयों के सभी प्रधानाचार्यों कृपया नोट करें कि अंतिम लेखा की सॉफ्ट प्रति संबंधित विद्यालय के सांविधिक लेखापरीक्षक को प्रति देते हुए ई-मेल द्वारा aeescommonpupilsfund@gmail.com भेजे।

Heads of AEC Schools/Junior Colleges are informed that a soft copy of PUVVN final account of respective school may be sent by mail with a copy marked to Statutory Auditor of respective schools from aeescommonpupilsfund@gmail.com

उक्त कार्रवाई का समय पर अनुपालन अपेक्षित है।
Timely action for compliance of above actions will be highly appreciable.

यह परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन एवं दिशानिर्देशानुसार जारी किया जाता है।
This issues with the approval of competent authority in AEES.

अनु/Encl: - उपर्युक्तानुसार/As above

Shank Kumar Lahiri 07/04/2025

एस.के. लाहिड़ी / S.K.Lahiri
सचिव / Secretary

प.ऊ.कें.विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों के सभी प्रमुख
All Heads of all AEC Schools/Jr. Colleges
at ______________

प्रतिलिपि/Copy to :अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंध समिति, प.ऊ.कें.वि./कनि.महाविद्यालय.........................
Chairman-LMC, AECS/JC.

(अनुरोध है कि 31/05/2025 तक प.ऊ.शि.सं. को वार्षिक रिपोर्ट अग्रेषण हेतु अपने केन्द्र का वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अंतिम रूप प.ऊ.वि.वि.नि लेखाओं के विवरण पर अपने हस्ताक्षर के सहित अपनी विशेष टिप्पणियों, यदि है तो प्रेषित करें)
(With a request to append the signature on the statement of PUVVN accounts finalized for the year 2024-25 of your Centre for compilation in Annual Report of AEES by 31/05/2025 with your comments or specific remarks, if any.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ / C.C: For information–

1. अध्यक्ष का कार्यालय, प.ऊ.शि.सं., मुंबई / Office of Chairman, AEES, Mumbai
2. सचिव का कार्यालय, प.ऊ.शि.सं., मुंबई / Office of Secretary, AEES, Mumbai
3. कोषाध्यक्ष का कार्यालय, प.ऊ.शि.सं., मुंबई / Office of Treasurer, AEES Mumbai
4. प्रधानाचार्य एवं शै.इ.प्र., प.ऊ.शि.सं., मुंबई / Principal & HAU, AEES, Mumbai
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., मुंबई / CAO, AEES, Mumbai

संलग्नक / Annexure – I

वार्षिक परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि खातों को अंतिम रूप देने तथा तैयार करने हेतु अनुदेश
Instruction for finalization & preparation of Annual PUVVN A/c

परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि लेखा का वार्षिक लेखा विवरण तैयार करते समय आगे लेखापरीक्षा आपत्ति से बचने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करें:
While preparing the final accounts of PUVVN a/c, the following guidelines shall be followed to avoid any audit objection at a later date.

परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि लेखा का खाता बही तैयार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि सभी बही खातों में प्रधानाचार्यों के हस्ताक्षर सहित नियमित प्रविष्टियाँ की जाती है तथा सभी खर्चें बजटीय प्रावधानों के अंतर्गत है।
Heads of AEC Schools/JCs are hereby informed to take necessary action in completing the books of accounts of PUVVN A/c and ensure that the books are properly maintained with periodic postings under their signature and the expenditure incurred is within the budgetary provision.

1. सुनिश्चित किया जाए कि तुलन-पत्र में पिछले वर्ष के लिए दिए गए कॉलमों में आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के सभी आंकड़ें सही-सही भरे गए हैं।
   It may be ensured that all the figures are filled correctly in the Balance Sheet, Income & Expenditure account and Receipt & Payment a/c in the column provided for previous year.

2. सभी खाता बही में प्रविष्टियाँ अद्यतन की जाएँ और वित्तीय वर्ष की तुरंत समाप्ति पर अंतिम लेखा तैयार करने का कार्य आरंभ किया जाए।
   Posting in all books of accounts are updated and the work for preparation of final accounts is commenced immediately on closure of the financial year.

3. परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य कृपया सुनिश्चित करें कि बही खातों में की गई सभी प्रविष्टियाँ यदि आवधिक आधार पर अनुप्रमाणित नहीं है तो वह हस्ताक्षरित हैं। परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि लेखा के लेखाओं का वार्षिक विवरण इसके साथ भेजे गए प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं। यह प्रारूप ईमेल में संलग्न फाइल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया नोट करें कि पिछले वर्षों के आंकड़े स्थायी(फ्रिज्ड) हैं और उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता।
   Head of AEC schools/JCs shall ensure that all entries made in the Cash Book are signed, if not attested on periodic basis. Annual statement of accounts in respect of PUVVN Accounts are prepared as per the format sent herewith. The format may also be downloaded attached with the email, please note that previous years figures cannot be modified.

4. अनुमोदित बजट शीर्ष के अंतर्गत सभी व्यय राशि की प्रविष्टि की जाए और प्रारूप में दिए गए संबंधित शीर्ष में शामिल किया जाए। लेखाओं के गलत वर्गीकरण से बचने के लिए सावधानी बरती जाए। चूकिं प्रारूप स्थायी(फ्रिज्ड) है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन/परिवर्धन या खाता का नया शीर्ष जोड़ा नहीं जा सकता है। यदि यह डाउनलोड नहीं हो रहा है तो कम्प्यूटर अध्यापक की सहायता ली जाए।
   All expenditure incurred shall be posted against the approved budget head and incorporated in the relevant head given in the format. Care may be taken to avoid any misclassification of accounts. No addition/alteration or new head of account can be carried in the formats as it is frizzed. If it is not downloadable help of computer teacher be obtained.

5. परमाणु ऊर्जा विभाग के आंतरिक निरीक्षण पक्ष ने दर्शाया है कि परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य शैक्षणिक एवं खेल-कूद क्रियाकलापों, विभिन्न बाह्य परीक्षाओं (केन्द्र के रूप में विद्यालय परिसर) के आयोजन के लिए विभिन्न संगठनों से प्राप्त निधि प्राप्तियों का लेखाकरण नहीं कर रहे हैं। ऐसी आपत्तियों से बचने के लिए प्राप्त सभी आय को प्रत्येक प्राप्ति शीर्ष में लेखाकरण किया जाना चाहिए जिसमें प.ऊ.वि. खेलकूद और सांस्कृतिक परिषद द्वारा आयोजित विभिन्न खेलकूद अनुशिक्षण कैम्प और विभिन्न परीक्षाओं जैसे जे.ई.ई. मेन, ए.आई.ई.ई.ई., ए.आई.पी.एम.टी., सी.ई.टी., के.वी.एस., यू.जी.सी. नेट, सी.बी.एस.सी. इत्यादि के आयोजनों के लिए विद्यालय परिसरों के उपयोग प्रभार शामिल हैं। बिजली प्रभारों के साथ उपयोगकर्ता प्रभारों को राजस्व सामान्य लेखा में जमा किया जाना चाहिए तथा टी.डी.एस. उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान करते समय प्राप्त मानदेय का लेखाकरण किया जाना चाहिए।

Internal inspection wing of DAE has pointed that, Heads of AEC School are not accounting the receipts of fund received from various organization for conduct of educational and sports activities, various external examinations (school premises as centre). To avoid such objections, all Income received shall be accounted against each receipt head including usage charges for school premises for conduct of various examination such as JEE Main, AIEEE, AIPMT,CET,KVS, UGC Net, CBSE etc and various sports coaching camp conducted by DAE sports and Cultural council. The user charges with electricity charges shall be deposited in Revenue General account and honorarium received shall be accounted for TDS purpose while its payment to staff members of AEC Schools.

6 इसी तरह एन.सी.सी. कार्यक्रमों के संबंध में एन.सी.सी. शिविर एवं परेड आदि आयोजनों में एन.सी.सी. कैडेटों हेतु जलपान पर हुए खर्च का उचित लेखाकरण किया जाना चाहिए। तथापि टी.डी.एस. उद्देश्य हेतु ए.एन.ओ.(एन.सी.सी. अध्यापक) के मानदेय का उनके पद वेतन आदि सहित केवल मासिक वेतन बिल के माध्यम से राजस्व वेतन के अंतर्गत लेखाकरण किया जाना चाहिए।

Similarly in respect of NCC events, expenditure incurred shall be accounted properly for NCC camp and Refreshment to NCC cadets for conduct of parade, etc. However honorarium of ANO (NCC Teacher) including their rank pay, etc shall be accounted under Revenue Salary for TDS purpose through monthly salary bill only.

7 इनाम, पुरस्कार, खेल-कूद पूंजीगत(किट्स) इत्यादि हेतु सामान्य छात्र निधि से प्रदान की गई राशि का भी दिए गए लेखा शीर्ष में लेखाकरण किया जाना चाहिए और इसका निपटारा केन्द्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं. को आवश्यक रिकार्ड हेतु प्रदान किया जाना चाहिए। यदि इसे 31 मार्च तक प्रदान नहीं किया जाता है तो परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि के अंतर्गत इसका समेकन करते समय दुतरफा (मिलान)जांच करने के क्रम में वर्तमान देयताएं के साथ खाता बही में आवश्यक प्रविष्टियां किया जाना अपेक्षित है।

The amount provided for prizes, awards, sports kits etc from Common Pupils fund shall also be accounted in given head of account and its settlement be provided to Central Office, AEES for necessary records. If the same is not provided till 31st March, necessary entries in books of account is required to be made with current liabilities in order to cross check while its consolidation under PUVVN.

8 यह सुनिश्चित किया जाए कि वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं आहरित सभी अस्थायी अग्रिम का निपटारा 31.03.2025 तक कर लिया गया है। केवल अपरिहार्य स्थितियों को छोड़कर, अस्थायी अग्रिम को अगले वित्तीय वर्ष में शामिल नहीं किया जाए। 31.03.2025 तक बकाया ऐसे अग्रिमों का ब्योरा विशेष टिप्पणियों सहित संलग्न किया जाए एवं इसका निपटारा ना होने का कारण दर्शाया जाए।

It may be ensured that all temporary advances sanctioned & drawn during the financial year are settled as on 31.03.2025. No temporary advance shall be carried forward except under unavoidable circumstances. Details of such advances outstanding as on 31.03.2025 shall be enclosed with specific remark and reason for it's non settlement.

9 यह भी देखा जाता है कि अंतर प.ऊ.कें.वि. खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत आयोजक प.ऊ.कें.विद्यालयों को व्यय के यथानुपात अंश राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले निपटारित तथा भुगतान नहीं किया जाता है। निपटारा करने के दौरान कोई समस्या, यदि हो, को स्पष्ट रूप से वर्तमान देयताएं के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।

Further it is observed that the pro-rata share of expenditure to organizing AEC Schools under Inter AECS sports and cultural events are not settle]
d and paid before closure of financial year. Difficulty if any, while settlement shall be distinctly showed under current liabilities.

10 परमाणु ऊर्जा विभाग के आंतरिक निरीक्षण पक्ष ने दर्शाया है कि परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य अपने विद्यालयों में परिसंपत्ति पंजिका नहीं रख रहे हैं। ऐसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय के सभी प्रधानाचार्य पूंजीगत उपस्करों, फर्नीचर एवं जुड़नार तथा उपभोग्य वस्तुएं के लिए निर्धारित प्रारूप (संलग्नक III और IV) में अलग-अलग पंजिकाएं बनाए।

Internal Inspection Wing of DAE has pointed out that the Heads of AEC Schools are not maintaining the assets register at respective schools. To avoid such recurrence, Heads of AEC School shall maintain registers in prescribed format (Copies enclosed in Annexure III & IV) for capital equipments, furniture and fixtures & Consumables separately.

11 परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि परिसंपत्ति पंजिका (मद वार) का शेष परमाणु उर्जा विद्यालय विकास निधि लेखा से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियों के लिए निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षित "परिसंपत्ति पंजिका" के अनुसार परमाणु उर्जा विद्यालय विकास निधि लेखा के तुलनपत्र में आंकड़ों से मिलान हो और सामान्य वित्तीय नियमावली 22 अद्यतन लेखापरीक्षित विवरणों के साथ प्रस्तुत की जाये।

Heads of AEC School / JC are requested to ensure that the balance in the Asset Register (item wise) tally with the figures in the balance sheet of PUVVN Account as per the "Asset Register" maintained in the prescribed format for fixed assets acquired from PUVVN account & GFR 22 is maintained with the School and kept on School record.

12 सामान्य वित्तीय नियमावली 22(संलग्नक-।।। की प्रति संलग्नित) के अनुसार निर्धारित प्रारूप में परिसंपत्ति पंजिका में आवश्यक प्रविष्टि सुनिश्चित करने के बाद परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि लेखा के अंतर्गत खरीदी गई परिसंपत्तियों का उचित हिसाब रखा जाए। साथ ही सामान्य वित्तीय नियमावली 23(संलग्नक-IV की प्रति संलग्न) के अनुसार निर्धारित प्रारूप में उपभोग्य वस्तुएं हेतु स्टॉक पंजिका भी रखी जाए।

The Assets procured under PUVVN A/c may be accounted properly after ensuring necessary entries are made available in Assets Register in prescribed format as per GFR 22 (copy enclosed in Annexure – III). Further, the Stock Register for consumable is also maintained in prescribed format as per GFR 23 (copy enclosed in Annexure IV)

13 परिग्रहण पंजिका और सामान्य वित्तीय नियमावली के जीएफआर नियम सं. 18 के अनुसार निर्धारित प्रारूप (संलग्नक V) में परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि लेखा से खरीदी गई पस्तुकालय की पुस्तकों की रिकार्ड रखी जाए। (प्रारूप संलग्नित)

Library Books purchased from PUVVN Account are to be recorded in prescribed format (Annexure V) in term of Accession Register & GFR rule No.18 of General Financial Rules. (Format enclosed).

14 पुनरावृत्ति से बचने के लिए वर्ष 2024-25 की लेखाओं को अंतिम रूप देने से पूर्व वर्ष 2023-24 की परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि वार्षिक लेखा में पाई गई और आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा सूचित की गईं सभी विसंगतियों का ध्यान रखा जाए।

Discrepancies observed in the PUVVN final account for the year 2023-24 and intimated by internal auditor may be taken into account before finalizing the accounts for the year 2024-25 to avoid it's recurrence.

15 परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालयों के सभी प्रधानाचार्य लेखापरीक्षित विवरण के साथ लेखापरीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विद्यालय के लेखाओं में "सही एवं निष्पक्ष विचार" अभिव्यक्ति लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में होनी चाहिए।
All the Heads of AEC schools shall submit auditor's report along with the audited statements. The auditors report should include "True & Fair view" expression in the accounts of the school.

16 लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी 31/05/2025 से पहले लेखाओं के विधिवत हस्ताक्षरित लेखापरीक्षित विवरण सहित प्रस्तुत की जाए। यदि कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है तो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ 'शून्य' रिपोर्ट अनुलग्नित की जाए।
Action Taken Report on Auditor's Report may also be submitted along with duly signed audited statements of accounts before 31/05/2025 If no action is required, a 'NIL' report may be enclosed with the Auditor's Report.

<u>संलग्नक / Annexure-II</u>

परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि के अंतर्गत लेखाओं का विवरण तैयार करने हेतु अनुदेश
Instruction for preparation of Statement of accounts under PUVVN

तुलन-पत्र / BALANCE SHEET

अनुसूची-1- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान :
Schedule-1-Current Liabilities & Provision:

यह सुनिश्चित किया जाए कि जब तक आवश्यक न हो अनुसूची 1 के अंतर्गत किसी प्रकार की देयताएं एवं प्रावधान बकाया नहीं है। इस प्रकार की देयताओं का ब्योरा, यदि कोई अनिपटारित हो तो अलग से उचित कारणों सहित दिया जाए।
It may be ensured that no liabilities and provisions exists under Schedule1 unless it is necessary. Details of such liabilities if any unsettled may be brought out separately with justification.

अनुसूची—2- स्थायी परिसंपत्तियां/ Schedule-2-Fixed Assets :

कॉलम सं. 3 के ऑकड़ों का मिलान पिछले वर्ष के ऑकड़ों के साथ होना चाहिए।
Figures in Column No.3 should tally with the figures of last year.

वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों का मूल्य कॉलम सं. 4 में दर्शाया जाना चाहिए।
Cost of the assets purchased during the year should be shown in Column No. 4

वर्ष के दौरान अनुपयोगी घोषित परिसंपत्तियों का मूल्य कॉलम सं. 5 में दर्शाया जाना चाहिए। खाता बही में रिकार्ड की प्रविष्टि करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुपयोगी घोषित करने हेतु सर्वेक्षण और निपटान समिति की रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है तथा लेखापरीक्षा अनुपालन हेतु परिसंपत्ति पंजिका में आवश्यक प्रविष्टियाँ की गई हैं।
Cost of the assets condemned during the year should be shown in Column No.5. Before entries are recorded in books of accounts, it may be ensured that the approval of competent authority for condemnation with Survey & Disposal Committees report exists and necessary entries are recorded in Assets Register for audit compliance.

कॉलम सं. 6 का कुल योग लेखा खाते के कुल के साथ मिलान होना चाहिए।
Grand total of Column No.6 should match with the total of ledger account.

अनुसूची-3- वर्तमान परिसंपत्ति / Schedule-3-Current Asset :

इस अनुसूची में बकाया अस्थायी अग्रिम शेष राशि दर्शायी जानी चाहिए (बकाया अग्रिम का ब्योरा, इसकी वर्तमान स्थिति और उसका निपटारा नहीं होने के कारण सहित विवरण संलग्न किया जाए)
(ए) बकाया अग्रिम/ (A) Outstanding Advances
The balances of outstanding Temporary advances should be shown in this schedule (Details of advances outstanding with its present status and with reason for non-settlement of the same shall be enclosed along with the statement).

(बी) आस्थगित राजस्व (छात्र शुल्क)

कुछ एईसी स्कूलों / जूनियर कॉलेजों द्वारा बताया गया है कि पिछले कई वित्तीय वर्ष के दौरान छात्र शुल्क बकाया हैं। यह भी बताया गया है कि उक्त शुल्क बकाया की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है। वर्ष 2024-25 के लिए शुल्क देय राशि की लंबित रसीदें, 31 मार्च, 2025 को बकाया राशि के रूप में परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि "करंट एसेट्स" (अनुसूची -3) और आस्थगित राजस्व शुल्क (अनुसूची -4) के वार्षिक खातों में दिखाया जाना है।
(

B) Deferred Revenue (Students Fees)

It has been reported by some of the AEC Schools / Jr. Colleges that there are PUVVN fee dues during the previous financial year. It is also reported that action is being initiated to recover the said fee dues. Pending receipts of the fee dues for the year 2024-25, the amount outstanding as on 31st March, 2025 is to be shown in annual accounts of puvvn "Current Assets" (Schedule-3) and Deferred Revenue Fee (Schedule-4).

इसके अलावा, यह रिकॉर्ड में है कि कुछ प.ऊ.कें. वि./क.म. / जेसी के संबंध में पिछले वित्तीय वर्षों के लिए बकाया छात्र शुल्क उन वर्षों के खातों के वार्षिक विवरणों में प्रतिबिंबित नहीं किया गया था। परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि खाते के तहत उक्त शुल्क प्राप्य राशि का गैर-प्रतिबिंब। संबंधित पऊकेंवि एवं महाविद्यालयों के वार्षिक लेखापरिक्षण किए गए बयानों को 'राजस्व के नुकसान की भरपाई' के रूप में देखा जाएगा, जिसे गंभीरता से विद्यालयों के खामियों में गिना जाएगा |

Further, it is on record that the fee outstanding for the previous financial years in respect of some AECS/JC was not reflected in annual statements of accounts of those years. The non-reflection of said fee receivable amount under PUVVN A/c. of respective AEC Schools / Jr. Colleges annual audited statements will be viewed as 'supressing of loss of revenue' which has to be viewed seriously as lapses on the part of the School.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्य छात्रों के शुल्क के लिए उचित समाधान के बाद, एक विस्तृत विवरण जीसमें बकाया शुल्क दिखाया गया है, यदि कोई अलग से संलग्न किया जाए और अनुसूची 3 वर्तमान संपत्ति में दिखाया गया है तो पिछले वित्तीय वर्षों से "आस्थगित" शीर्षक के तहत दिखाया जाना चाहिए| "राजस्व-छात्र शुल्क प्राप्य "|

After due reconciliation for the students fee receivable for the financial year 2024-25, a detailed statement showing fees outstanding if any be enclosed separately and showed in Schedule 3 Current Assets including fee receivable from the previous financial years under the head "Deferred Revenue-Students fee Receivable".

चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त उन वर्षों के लिए बकाया शुल्क, यदि कोई हो, आय और व्यय खाते की अनुसूची 4 में उसी शीर्ष के तहत दिखाया गया है | इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए जिसमें यह दर्शाया गया हो की 31.03.2025 को इसकी प्राप्तियों के लिए कोई छात्र शुल्क बकाया नहीं है|

The outstanding fee for those years received in current financial year, if any be showed under same head in Schedule 4 of Income & Expenditure Account. A certificate to that effect be enclosed showing no students fees are outstanding for its receipts as on 31.3.2025.

आय एवं व्यय / INCOME & EXPENDITURE

अनुसूची-4- शुल्क / Schedule – 4 - Fees :

परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित शुल्क, कम्प्यूटर शुल्क और व्यावसायिक शुल्क, तैराकी शुल्क इत्यादि अलग-अलग दर्शाया जाए । प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम-6 के प्रावधान के अनुसार "शुल्क आदि के रूप में प्राप्त सभी राशियाँ प्रत्येक विद्यालय द्वारा अविलंब अपनी प्रत्यायित बैंक के संबंधित खातों में जमा की जानी चाहिए।" प्राप्ति बही के संदर्भ में प्रत्येक विद्यालय में अनुरक्षित दैनिक शुल्क संग्रहण पंजिका प्रधानाचार्य के नियमित हस्ताक्षर सहित अद्यतन की जानी चाहिए।

Fees collected under PUVVN, Computer Fees and Vocational Fees, Swimming Fees etc. should be shown separately. In terms of provision under Rule-6 of Receipt & Payment Rules "All money received on account of fees etc. Shall, without undue delay be deposited in the respective accounts maintained by each schools with its accredited bank". Daily Fees Collection Register maintained in each school shall be updated with respect to the Receipt Books with due sign of Principal.

यह सुनिश्चित किया जाए कि परमाणु ऊर्जा विद्यालय विकास निधि लेखा के अंतर्गत शुल्क का सही हिसाब रखा जा रहा है और दैनिक शुल्क संग्रहण पंजिका में एकत्रित शुल्क की आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाती हैं एवं समय-समय पर प्रधानाचार्य द्वारा नकदी बही अनुप्रमाणित किया जाता है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व बकायादारों, यदि है से शुल्क एकत्र करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाती है ।

It may be ensured that proper accounting of fees have been maintained under PUVVN A/c and necessary entries are made available for fees collected in Daily fee Collection register and cash book attested by Principal from time to time and necessary action to be taken for collection of fee from defaulters if any before closure of financial year.

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम-6 के प्रावधान के अनुसार "शुल्क आदि के रूप में प्राप्त सभी राशि प्रत्येक विद्यालयों द्वारा अविलंब अपनी प्रत्यायित बैंक के संबंधित खातों में जमा किया जाना चाहिए।" लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एकत्रित राशि जो अगले शैक्षणिक वर्ष अर्थात् 2025-26 के लिए है को समय पर बैंक में जमा किया जाना चाहिए और उसे "वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान-2024-25 हेतु शुल्क संग्रह" के अंतर्गत 2025-26 के तुलन-पत्र में प्रदर्शित किया जाना चाहिए ।

In terms of provision under Rule - 6 of Receipt & Payment Rules "All money received on account of fees etc. shall, without undue delay be deposited in the respective accounts maintained by each schools with its accredited bank". As per the accounting principles the fees collected during the current financial year 2024-25, which pertains to the next Academic year i.e. 2025-26 should be timely deposited in bank and the same is to be reflected in the balance sheet of 2024-25 under "Current Liabilities and Provision- as Fees collected for 2025-26".

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा / RECEIPT & PAYMENT A/C

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा इसके साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। नए लेखा शीर्ष नहीं जोड़े जाने चाहिए।

Receipt & payment account should be prepared as per prescribed format attached herewith. New head of accounts should not be added.

किसी अग्रिम संबंधी मामलों में वर्ष के दौरान प्रभारित वास्तविक व्यय, भुगतान के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। प्रत्येक शीर्ष जिसके तहत अग्रिम आहरित किया गया था से अनिपटारित अग्रिम घटाया जाना चाहिए तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

In case of any advances, the actual expenditure charged during the year should be shown as payments. Unsettled advances should be subtracted against each head under which it was drawn and should be shown in Receipt & Payment a/c.

यदि चेक रद्द होता है तो उसी लेखा शीर्ष जहां से यह राशि डेबिट हुई थी, के रोकड़ बही में इसकी प्रतिलोम प्रविष्टि की जानी चाहिए। यह चेक रद्दकरण के रूप में प्राप्ति भाग पर नहीं दर्शाया जाना चाहिए।

If the cheque is cancelled reverse entry should be passed in Cash Book in the same head of account where the amount was debited. It should not be shown on receipt side as cancellation of cheque.

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में (क) बचत खाते से और (ख) सावधि जमा से अर्जित ब्याज के रूप में प्राप्त राशि अलग-अलग दर्शायी जानी चाहिए।

In Receipt & Payment account, receipts on account of Interest Earned- (a) on saving account and (b) on Fixed Deposits should be shown separately.

****